ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Year वर्ष

Number of Case प्रकरण की संख्या

Versus बनाम

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2
	दिनांक 13.1.2023 को पेश हो
13/01/23	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। पूर्व पेशी पर प्रा. प. O7R11 CPC प्रा.प. पर बहस सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी (प्रतिवादी) वकील द्वारा एक प्रा.प. अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC प्रा.प. पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा ख.स. 384 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि है, वादी ने एक सहखातेदार गंगाराम पुत्र हुकमाराम से उनके रकबे में से 1/10 वां हिस्सा में से 16/93 हिस्सा यानि 2 बीघा भूमि को बेचाननामा से पड़ोस अंकित करवाते हुए खरीद की है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में कोई खातेदार अपना हिस्सा बेचान कर सकता है, परंतु पड़ोस अंकित करते हुए बेचान नहीं कर सकता है वादी द्वारा उसी बेचान नामे के आधार पर उक्त बंटवारे का दावा पेश किया है। एक संयुक्त खातेदार

उपखण्ड अधिकारी

ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्वर्ती) (५)

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Case प्रकरण की संख्या .... Year वर्ष ....

Versus बनाम

Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
2	3
भूमि का पड़ोस दर्शाकर बेचान नहीं कर सकता है अतः वादी का वाद चलने लायक नहीं है। निराधार होने से खारिज किया जावे। वादी वकील द्वारा प्रा.प. के जवाब में बताया कि वादी द्वारा ख.स. 384 में बेचानकर्ता का हिस्से अनुसार जहाँ कब्जा काश्त था, वही बेचान नामे में पड़ोस दर्शाते हुए बेचान किया गया है व कब्जा भी वादी को सौंप दिया है। जो भूमि वादी ने खरीदी है उस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी आज दिनांक को वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार काश्तकार है। अतः प्रार्थी प्रतिवादी का प्रा.प. 07 R11 CPC खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2076-2079 अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि ग्राम नारियाकुर्द के ख.स. 384 के सहखातेदार काश्तकार है एवं पत्रावली में संलग्न रजिस्ट्री दिनांक 12/06/18 अनुसार भूमि ख.स. 384 में भूमि में अपने हिस्से का बेचान पड़ोस अंकित करते	

सहायक कलेक्टर ... मांगरोल ...

यूनिक ट्रेडर्स 51, एमजीएच रोड, जोधपुर 2623675, 2...

Scanned with CamScanner

ORDER SHEET (Subservient) आदेश ...

CNR NUMBER
सी.एन.आर संख्या

Year वर्ष

Number of Case प्रकरण की संख्या .... Versus बनाम ....

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश
1	2
	हुए किया जाना वादी के तथ्यों व प्रतिवादी के जवाब से भी स्पष्ट है। जहाँ तक सहखातेदारी कृषि भूमि में खातेदार काश्तकार के हक की बात है तो एक सहखातेदार, संयुक्त कृषि भूमि में अपने हक का बेचान कर सकता है। जब तक संयुक्त खातेदारी की भूमि में बंटवारा बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स नहीं हो जाता है कोई भी सहखातेदार भूमि मे पड़ोस अंकित करते हुए विशेष भूमि के टुकड़े का बेचान नही कर सकता है। क्योंकि जब तक संयुक्त खातेदारी की भूमि का बंटवाड़ा नहीं होता है, अच्छे से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि के प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदार का हक होता है। उक्त प्रकरण मे वादी बेचाननामे में अंकित पड़ोस अनुसार भूमि का बंटवाड़ा चाहता है जो कि संयुवत खातेदारी की भूमि मे देय नहीं हो अतः वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 CPC के तहत विधि द्वारा बाधित है। एवं आदेश 7 नियम 11 CPC के प्रावधानो के तहत वादी का वाद अंतर्गत धारा 53 R.T.A. विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर एवं ...

Scanned with CamScanner